Gmail by Google

Proctor . <proctor@kgmcindia.edu>

Regarding ragging

1 message

[redacted] <pgpoonam12@gmail.com> 13 May 2019 at 09:57
To: proctor@kgmcindia.edu
Cc: drkushwaharas@gmail.com

Sir,

This is to inform you that my son [redacted] is a student of MBBS KGMU of batch 2017, currently residing in TG hostel. Yesterday night, my son along with 7 colleagues of his batch (all from kanpur zone) were called by about 10-12 seniors of batch 2016 and 2015 some place near Pathology and SPM department. They were called at 11 P.M.at night and were kept there till 3 a.m. in the morning. During that time the seniors used abusive language, the juniors were made to dance and they were made murgas and some other activities which my son hesitated to disclose to me. they were told to come again today night too. Some of the names of the seniors are as following-

[redacted]

Rest of the names I don't know.
My son is very disturbed and upset after this incident and afraid to stay in the campus at night.
This incident is very unfortunate. Kindly take immediate action.

Thank you

Dr. [redacted]
(mother)
my telephone no. 9451547291

13/05/19
10.15 AM

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
प्राक्टर कार्यालय

दिनॉक–30/05/2019

मीटिंग/मिनट्स

दिनॉक–13/05/2019 पूर्वान्हः 09:57 बजे रैंगिग से सम्बन्धित प्राप्त ई–मेल शिकायती पत्र के जॉच हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा प्रो0 जी0पी0 सिंह को जॉच समिति का अध्यक्ष एवं डा0 आनन्द श्रीवास्तव को संयोजक एवं अन्य पदाधिकारियों को सदस्य नामित किया गया है। संयोजक जॉच समिति द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–935/प्रा0/2019 दिनॉक–16/05/2019 के द्वारा जॉच समिति सदस्यों की प्रो0 जी0पी0 सिंह, अधिष्ठाता,छात्र कल्याण की अध्यक्षता में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कक्ष पी0एच0आई0 भवन में दिनॉक–20/05/2019 अपरान्हः 02:00 बजे हुई उपरोक्त बैठक के परिपेक्ष्य पुनः दिनॉक–30/05/2019 अपरान्हः 01:00 बजे बैठक आहूत की गयी, जिसमें सभी सदस्य (प्रो0 जी0पी0 सिंह, प्रो0 अनूप कुमार वर्मा, प्रो0 नन्द लाल, प्रो0 सुजाता एवं डा0 आनन्द श्रीवास्तव) उपस्थित हुए।

उपरोक्त हुई बैठक में समिति के समक्ष निम्नलिखित तथ्य सामने आए–

– शिकायतकर्ता डा0 [illegible] एम0बी0बी0एस0 2017 बैच की माँ) द्वारा अपनी लिखित शिकायत वापसी के दौरान यह कहा गया कि उनके बेटे [illegible] को उनके सीनियरर्स द्वारा मात्र परिचय हेतु ही बुलाया गया था जो कि भ्रमवश उनके बेटे को रैगिंग का आभास हुआ। उनके बेटे के साथ सीनियरर्स द्वारा किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग या अभद्रता नहीं की गयी। अतः उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है।

– तन्मय गुप्ता (एम0बी0बी0एस0 2017 बैच) ने भी अपनी लिखित शिकायत वापसी के दौरान यह कहा कि सीनियर द्वारा मात्र परिचय हेतु ही मुझे बुलाया गया था परन्तु तबीयत खराब होने की वजह से भ्रमवश मुझे रैगिंग का आभास हुआ जो रैगिंग की श्रेणी में नहीं आता है और न ही सीनियरर्स द्वारा किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग या अभद्रता की गयी।

उपरोक्त हुई बैठक में समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

– चूकि शिकायतकर्ता डा0 [illegible] व उनके पुत्र [illegible] एम0बी0बी0एस0 2017 बैच द्वारा अपनी शिकायत वापस ले ली। उपरोक्त के कम में समिति ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त शिकायत भ्रमवश की गयी थी जो कि रैगिंग की श्रेणी में नहीं आती है।

– परन्तु यह तथ्य भी सत्य है कि छात्रावास से रात्रि 11:00 बजे से 02:00 बजे मध्य सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों को बाहर बुलाना तथा जूनियर छात्रों द्वारा रात्रि 11:00 बजे के उपरान्त बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के रात्रि को छात्रावास से बाहर जाना छात्रावास नियम व अनुशासन का घोर उल्लघन है छात्रों के इस कृत्य को देखते हुए घटना में संलिप्त समस्त सीनियर छात्रो के ऊपर रू0–5000/– एवं जूनियर छात्रों पर रू0–1000/– मात्र का अर्थदण्ड लगाया जाय एवं घटना में संलिप्त समस्त छात्रों से इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो हमें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाय।

अतः समिति ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त शिकायत पर कोई अग्रिम कार्यवाही नही होगी।

डा0 आनन्द श्रीवास्तव
(संयोजक,जॉच समिति)

Scanned with CamScanner